



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवीकर हत्या के 02 अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास व ₹18000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु०अ०सं० -405/12 धारा- 392, 302/34, 411 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.बाबूपाल पुत्र बृजलाल नि० सरखेडा थाना राठ जनपद हमीरपुर 2.मनमोहन पुत्र चूरामणि नि० लिधौरा थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को आजीवन कारावास व ₹18,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री चन्द्रप्रकाश
गोस्वामी



विवेचक-
निरी० अंगद प्रताप
सिंह



पैरोकार- थाना राठ
का० प्रदीप भार्गव